VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(08 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- RBI की मौद्रिक नीति समिति की नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य में वर्णित प्रमुख निर्णय
- प्रवासियों द्वारा अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का 'डंकी रूट' क्या है?
- गिरफ्तारी का आधार बताना अनिवार्य, संवैधानिक आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

RBI की मौद्रिक नीति समिति की नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य में वर्णित प्रमुख निर्णय:

चर्चा में क्यों हैं?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपेक्षाओं के अनुरूप, 7 फरवरी को जारी अपने नवीनतम मौद्रिक नीति में, मुद्रास्फीति में कमी और विकास दर में कमी की चिंताओं के बीच, सर्वसम्मति से रेपो दर - जिस ब्याज दर पर यह बैंकों को उधार देता है - को 25 आधार अंकों (bps) से घटाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

- साथ ही छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत और खुदरा मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

- उल्लेखनीय प्रमुख नीति दर में कटौती, जो लगभग पांच वर्षों में पहली बार हुई है, घर, वाहन और अन्य उपभोक्ता ऋण उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करेगी क्योंकि रेपो दर से जुड़ी सभी ब्याज दरें सम्भवतः कम हो जाएंगी।

RBI ने रेपो दर में कटौती क्यों की?

- रेपो दर में कटौती के पीछे मुख्य कारण व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए उधार लेना सस्ता करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे खर्च और निवेश में वृद्धि होगी।
- चूंकि मुद्रास्फीति RBI की लक्ष्य सीमा के भीतर है, इसलिए रेपो दर में कटौती विकास को समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकती है।
- रेपो दर में कटौती से बैंकों को अपनी उधार दरों को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए ऋण अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगा।
- इसके अलावा, कम ब्याज दरों से उधार, खर्च और निवेश में वृद्धि हो सकती है, जो अंततः रोजगार सृजन और रोजगार को बढ़ावा देती है।
- रेपो रेट में कटौती भारत को वैश्विक आर्थिक रुझानों के साथ संरेखित करेगी, क्योंकि कई केंद्रीय बैंकों ने उदार मौद्रिक नीतियों को अपनाया है।

GDP वृद्धि दर का क्या परिदृश्य है?

- उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति में, RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया, जबकि पहले यह अनुमान 7.2 प्रतिशत था। हालांकि इस मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 प्रतिशत लगाया है।
- जीडीपी वृद्धि पर, रिजर्व बैंक गवर्नर मल्होत्रा का कहना है कि आने वाले वर्ष में आर्थिक गतिविधि में सुधार होने की उम्मीद है। उनके अनुसार ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, जबकि शहरी खपत में कमी बनी हुई है और उच्च आवृत्ति संकेतक मिश्रित संकेत दे रहे हैं। हालांकि रोजगार की स्थिति में सुधार, केंद्रीय बजट में कर राहत और मुद्रास्फीति में कमी, साथ ही स्वस्थ कृषि गतिविधि घरेलू खपत के लिए अच्छी है। सरकारी उपभोग व्यय भी ठीक रहने की उम्मीद है।
- हालांकि, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों ने दृष्टिकोण को अनिश्चितता प्रदान करना जारी रखा है और नीचे की ओर जोखिम पैदा किया है।

मुद्रास्फीति को लेकर क्या अनुमान है?

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 4.8 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। अगले वर्ष सामान्य मानसून को मानते हुए, 2025-26 के लिए CPI मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

- खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में भी नरमी आई है, जो घरेलू मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक है।

क्या भविष्य में कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति की संभावना है?

- रिज़र्व बैंक के गवर्नर मल्होत्रा ने यह भी संकेत दिया कि मौद्रिक नीति समिति ने तटस्थ रुख जारी रखते हुए महसूस किया कि मौजूदा समय में कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति अधिक उपयुक्त है।
- उल्लेखनीय है कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि अगर आने वाले समय में मुद्रास्फीति-विकास की गतिशीलता अनुकूल हो जाती है तो मौद्रिक नीति समिति तटस्थ मौद्रिक नीति से अपना रुख बदल सकती है।
- विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर मुद्रास्फीति अनुमानित प्रक्षेपवक्र में रहती है तो इस वर्ष में रेपो दरों में दो और कटौती की उम्मीद की जा सकती है।
- ऐसे में यह स्पष्ट है कि रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर चाहते हैं कि आर्थिक विकास दर बढ़े और उन्होंने कहा कि "हमें 7 प्रतिशत की वृद्धि की आकांक्षा रखनी चाहिए"। उनका कहना है कि मौद्रिक नीति समिति अपनी प्रत्येक भावी बैठक में व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के नए मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेगी।

कम प्रतिबंधात्मक नीति और कोई स्पष्ट विनिमय दर लक्ष्यीकरण नहीं

- रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कुछ रोचक टिप्पणियां कीं, जो अप्रत्यक्ष प्रकृति की हैं, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र और अन्य बाजार सहभागियों को रुपये, तरलता प्रबंधन और मौद्रिक नीति में होने वाले बदलावों के बारे में स्पष्ट संकेत हैं।

बैंकों को कॉल मनी मार्केट में उधार देने के लिए कहा गया:

- रिजर्व बैंक के गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि कुछ बैंक बिना कोलेटरल वाले कॉल मनी मार्केट में उधार देने के लिए अनिच्छुक हैं। इसके बजाय, वे रिजर्व बैंक के पास निष्क्रिय रूप से फंड जमा कर रहे हैं। उन्होंने बैंकों से बिना कोलेटरल वाले कॉल मनी मार्केट में आपस में सक्रिय रूप से व्यापार करने के लिए कहा है।
- उल्लेखनीय है कि इसका उद्देश्य किसी भी तरलता की कमी से बचकर बाजार के व्यवस्थित कामकाज को सुविधाजनक बनाना हो सकता है।

डॉलर के मुकाबले रुपये की मूल्य स्थिरता का मुद्दा:

- रिजर्व बैंक के गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप किसी विशिष्ट विनिमय दर स्तर या बैंड को लक्षित करने के बजाय अत्यधिक और विघटनकारी अस्थिरता को कम करने पर केंद्रित होना चाहिए।
- वहीं उनका कहना है कि जब तक भारतीय रुपये की विनिमय दर बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित होती है, वे रुपये में कुछ गिरावट के पक्ष में हो सकते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

प्रवासियों द्वारा अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का 'डंकी रूट' क्या है?

चर्चा में क्यों हैं?

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में 104 भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर लगभग 24 घंटे की उड़ान के लिए भारत वापस भेजा। यह निर्वासन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अवैध आव्रजन पर कार्रवाई के बाद हुआ, जिस विषय पर उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर चर्चा की थी।

- इस मुद्दे पर प्रश्नों के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि "हम अमेरिकी सरकार से संपर्क कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ उड़ान के दौरान किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। साथ ही, सदन को इस बात पर बल देना चाहिए कि हमारा ध्यान अवैध प्रवास उद्योग पर सख्ती से नकेल कसने पर होना चाहिए"।

- उल्लेखनीय है कि अमेरिका में अवैध यात्रा में अक्सर 'डंकी रूट' का इस्तेमाल होता है, जो कई देशों से होकर खतरनाक क्रॉसिंग शामिल है।

अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का 'डंकी रूट' क्या है?

- अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले कई भारतीय 'डंकी रूट' के रूप में जाने जाने वाले मार्ग का अनुसरण करते हैं।
- इसमें पनामा, कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे मध्य अमेरिकी देशों की यात्रा करना शामिल है, जहाँ वीज़ा प्राप्त करना आसान है। वहाँ से, वे मैक्सिको जाते हैं और फिर अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, अक्सर मानव तस्करों की मदद से जो खतरनाक क्रॉसिंग के लिए हज़ारों डॉलर लेते हैं।
- यह तरीका तेज़ी से लोकप्रिय हो गया है क्योंकि सख्त वीज़ा नियमों के कारण अमेरिका के लिए सीधे हवाई मार्ग कठिन हो गए हैं। तस्कर, माफिया गिरोह और संगठित अपराध सिंडिकेट इन प्रवासियों का फायदा उठाते हैं, उन्हें सुरक्षित मार्ग का वादा करते हैं लेकिन अक्सर उन्हें जानलेवा परिस्थितियों में छोड़ देते हैं।

डंकी रूट का इस्तेमाल करने वालों के निजी अनुभव:

- अमेरिका जाने वाले लोगों ने अपने निजी बयान में बताया है कि किसी भी देश में अवैध तरीके से जाना बेहद मुश्किल, जोखिम भरा और महंगा है। उन्होंने बताया

कि भारतीय नागरिक अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं।

- डंकी रूट के लिए किराया समय और सुविधा के हिसाब से अलग-अलग होता है। हालांकि, यात्रा शुरू होने से पहले पूरा भुगतान करना होता है। भुगतान के बाद ही यात्रा शुरू होती है।
- अमेरिका से लौटे एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के लिए यात्रियों को पनामा के जंगलों को पार करना पड़ता है, जिसमें करीब 5-6 दिन लगते हैं। उन्होंने बताया कि माफिया रास्ते में पैसे और मोबाइल फोन छीन लेते हैं। इस व्यक्ति ने यह भी बताया कि जो लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं, उन्हें रास्ते में ही छोड़ दिया जाता है, जबकि उनमें से कुछ की मौत हो जाती है और वे कंकाल बन जाते हैं।
- एजेंट यात्रा के दौरान अमेरिका पहुंचने के रास्ते और मार्ग भी बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों के पास एजेंट की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

डंकी रूट के एजेंट संगठित तरीके से काम करते हैं:

- डंकी रूट को संचालित करने वाले एजेंट एक संगठन में काम करते हैं, जिसमें हर एजेंट का एक सीमित क्षेत्र होता है, जिसमें वह काम करता है। अगर कोई भारत से अमेरिका जाना चाहता है, तो सबसे पहले वह भारत में मौजूद एजेंट से संपर्क करता है। यह एजेंट पैसे, रूट, समय, देश और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े काम देखता है।
- इसके बाद यात्री को दुबई या किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद दूसरा एजेंट संबंधित व्यक्ति को बस या टैक्सी के जरिए दूसरी जगह ले जाता है।
- इस दौरान नावों का भी इस्तेमाल किया जाता है और यात्रियों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में कई बार एजेंट बदले जाते हैं। यात्री कई देशों की सीमाओं को अवैध तरीके से पार करते हैं। अंत में अमेरिका पहुंचकर यात्री को खुद अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

गिरफ्तारी का आधार बताना अनिवार्य, संवैधानिक आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों हैं?

- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हिरासत में लिए गए लोगों को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित करने का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है और गिरफ्तार व्यक्ति को यह स्पष्ट और प्रभावी रूप से बताया जाना चाहिए।

- इसने रिमांड कार्यवाही के दौरान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया, चेतावनी दी कि किसी भी उल्लंघन के लिए आरोपी की रिहाई या जमानत को उचित ठहराया जा सकता है, यहां तक कि वैधानिक प्रतिबंधों वाले मामलों में भी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

संविधान के अनुच्छेद 22 का पालन अक्षरक्षः किया जाना चाहिए?

- उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग-3 में वर्णित अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए लोगों को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या गिरफ्तार करने के बाद अनुच्छेद 22 के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। एक बार गिरफ्तारी अमान्य घोषित हो जाने के बाद, गिरफ्तार व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी हिरासत में नहीं रह सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आगे कहा कि मौलिक अधिकारों को बनाए रखना सभी न्यायालयों का दायित्व है। साथ ही, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम या UAPA जैसे कड़े कानूनों के तहत वैधानिक प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जमानत देने के न्यायालय के अधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं।

अनुच्छेद 22(1) के अनुपालन को साबित करने का भार जांच एजेंसी पर:

- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में आगे रेखांकित किया कि अनुच्छेद 22(1) के अनुपालन को साबित करने का भार जांच एजेंसी पर है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने पंकज बंसल (2023), वी सेंथिल बालाजी (2024) और प्रबीर पुरकायस्थ (2024) के तत्कालीन मामलों में अपने पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए राज्य के दायित्व की फिर से पुष्टि की।
- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसले स्थापित करते हैं कि गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार प्रदान करने में विफलता किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कोई अपवाद नहीं है।

गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी समझ आने वाली भाषा में:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी गिरफ़्तार व्यक्ति को इस तरह से दी जानी चाहिए कि आधार बनाने वाले बुनियादी तथ्यों की पर्याप्त जानकारी गिरफ़्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में प्रभावी ढंग से दी जा सके।
- संचार का तरीका और विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे संवैधानिक सुरक्षा का उद्देश्य पूरा हो सके।

MCQ

Q.1. हाल ही में चर्चा में रहे 'डंकी रूट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अमेरिका की अवैध यात्रा में अक्सर 'डंकी रूट' का इस्तेमाल होता है, जो कई देशों से होकर खतरनाक क्रॉसिंग शामिल है।
2. इसमें उन मध्य अमेरिकी देशों की यात्रा करना शामिल है, जहाँ वीज़ा प्राप्त करना आसान हो और वहाँ से, मैक्सिको के रस्ते अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

Q.2. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में निर्णय दिया है कि गिरफ्तारी का आधार बताना अनिवार्य, संवैधानिक आवश्यकता है। संविधान के निम्नलिखित किस भाग में यह अनिवार्यता वर्णित है?

(a) संविधान का भाग-2

(b) संविधान का भाग-3

(c) संविधान का भाग-4

(d) संविधान का भाग-7

Ans. (b)

Q.3. हाल ही में RBI ने लगभग पांच वर्षों में पहली बार अपने रेपो दर में कटौती की है। RBI की प्रमुख नीति दर - रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों की अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है।
2. रेपो दर में कटौती से बाजार में तरलता कम हो जाती है जिससे मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिलती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a)

Q.4. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी नवीनतम मौद्रिक वक्तव्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का क्या अनुमान लगाया है।

(a) 7.6 प्रतिशत

(b) 7.2 प्रतिशत

(c) 7.0 प्रतिशत

(d) 6.7 प्रतिशत

Ans. (d)

Q.5. चर्चा में रही RBI की 'मौद्रिक नीति समिति (MPC)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वित्त मंत्रालय के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित यह एक गैर वैधानिक निकाय है।
2. मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम से कम चार बार बैठक करनी ही होती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (b)